# बिहार सरकार

## बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

## वरीय परियोजना अभियंता का कार्यालय

## कार्य प्रमण्डल, नालंदा

### निविदा आमंत्रण सूचना

**(केवल ई–टेन्डर पद्धति के अनुसार वेबसाईट – www.eproc.bihar.gov.in. पर)**

**निविदा आमंत्रण सूचना संख्या –** 649 **दिनांक –** 02-6-2018

बिहार राज्य् पुल निर्माण निगम लिमिटेड के तृतीय श्रेणी / पथ निर्माण विभाग के स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी–4 में निबंधित संवेदकों से निम्नलिखित कार्य / कार्यों हेतु एकल बीड पद्धति पर प्रतिशत दर के आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

(1) निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता : वरीय परियोजना अभियन्ता, कार्य प्रमण्डल, नालंदा (बिहारशरीफ) , बि०रा०पु०नि०नि०लि०।

(2) निविदा आमंत्रण सूचना की तिथि : दि०– 02/06/2018

(3) परिमाण विपत्र/निविदा कागजात डाउनलोड करने की अवधि एवं समय : दि०– 19/06/2018 से दि०– 25/06/2018 के अपराह्न 03:00 बजे तक
(केवल वेबसाईट – www.eproc.bihar.gov.in पर)

(4) निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि एवं समय : दि०– 26/06/2018 के अपराह्न 03:00 बजे तक
(केवल वेबसाईट – www.eproc.bihar.gov.in पर)

(5) अग्रधन एवं परिमाण विपत्र का मूल्य जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : दि०– 27/06/2018 के अपराह्न 03:00 बजे तक (निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अगला कार्यदिवस)

(6) बीड खोलने की तिथि एवं समय : दि०– 29/06/2018 को 3.30 बजे अपराह्न तक (निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद दूसरा कार्यदिवस)
(केवल वेबसाईट – www.eproc.bihar.gov.in पर)

(7) कार्य की विवरणी (योजना/शीर्ष/मद का नाम) :

| क्र० सं० | कार्य का नाम | परिमाण विपत्र की राशि (लाख रू० में) | अग्रधन की राशि (रू० लाख में) | परिमाण विपत्र का मुल्य (रू० में) | बीड प्रोसेसिंग शुल्क मुल्य (रू० में) | कार्य समाप्ति की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | नालंदा जिलाधीन जननायक कर्पुरी ठाकुर अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास की चाहरदिवारी का निर्माण कार्य। | 19.53 | 0.391 | 5,000.00 | 1,180.00 | 4 माह |
| 1/2 | | | | | | |

(8) निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन

(9) विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेबसाईट ***www.eproc.bihar.gov.in*** अथवा ***www.prd.bihar.nic.in*** पर देखा जा सकता है।

(10) ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संवेदकों को पंजीकृत होना आवश्यक है, जिससे उन्हें उपयोगकर्त्ता का नाम (User ID), पासवर्ड ( Password) एवं अंकिय हस्ताक्षर ( Digital Signature) प्राप्त होगा। यह उन्हें वेबसाईट www.eproc.bihar.gov.in से डाउनलोड करने / ई–टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग लेने की योग्यता प्रदान करेगा।

(11) ई–निविदा मात्र वेबसाईट ***www.eproc.bihar.gov.in*** पर डाउनलोड एवं अपलोड किया जा सकता है।

(12) (i) परिमाण विपत्र का मूल्य (जो लौटाया नहीं जायेगा) किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक / अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट जो वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ) के नाम से निर्गत हो तथा जो स्टेड बैंक ऑफ इंडिया बैंक, बिहारशरीफ में भुगतेय हो, को स्वीकार किया जायेगा। मूल बैंक ड्राफ्ट वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ)/ उप मुख्य अभियंता, उत्तर/दक्षिण बिहार अंचल, पटना के कार्यालय में दिनांक 27.06.2018 (निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद अगला कार्यदिवस) के 3:00 बजे अपराह्न तक जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ii) अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो / डाकघर का एक /दो / तीन वर्षीय सावधि बाण्ड/ राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र के रूप में जो वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ) के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो, स्वीकार किया जायेगा। इसकी मूल प्रति वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ) के कार्यालय में दिनांक 27.06.2018 के 3:00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(iii) संवेदक द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(iv) बीड प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाईन मोड यानि इन्टरनेट भुगतान गेटवे (क्रेडिट / डेबिट कार्ड), नेट बैंकिंग, एन ई एफ टी/ आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान किया जाना अनिवार्य है। आवश्यक ऑनलाईन भुगतान के साथ बीड, इस निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित तिथि एवं समय से पहले, ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल www.eproc.bihar.gov.in पर अपलोड किया जाना आवश्यक है। इन्टरनेट कनेक्शन, नेटवर्क ट्रैफिक/ अवकाश (छुट्टियाँ) या अन्य किसी भी कारण से हुए विलम्ब/ निविदा सबमिट (Submit) नहीं होने की स्थिति के लिए विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।

(13) संवेदक परिमाण विपत्र सिर्फ वेबसाईट से प्राप्त करने के उपरांत वेबसाईट पर ही इलेक्ट्रॉनिक निविदा पत्र को भरकर अपलोड करेंगे। अन्य सभी महत्वपूर्ण कागजात बैंक ड्राफ्ट / अग्रधन की राशि / सभी प्रमाण पत्र जो निविदा के लिए आवश्यक है को स्कैन कर ई–निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।

(14) संवेदक स्कैन कर कागजातों को अपलोड करने के पूर्व सूचीबद्ध करते हुए क्रमांक अंकित करेंगे ताकि किसी खास कागजात को क्रमांक संख्या/पृष्ठ संख्या के आधार पर शीघ्र खोजा जा सके। सभी अभिलेख पीडीएफ (PDF), एमएस ऑफिस (MS Office), कम्पेटीबिलिटी मोड (Compatibility Mode), जेपीईजी फॉरमेट (JPEG Format) में ही अपलोड (Upload) किये जाए अन्य फारमेट (Format) में अपलोड डॉक्यूमेंट्स (upload documents) के डाउनलोड / ओपेन (Download / open) नहीं होने पर कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(15) संवेदक स्कैन कर अपलोड किये गये कागजातों की डाउनलोडेबिलिटी / विजिबिलिटी (Downloadability / visibiity) से पूर्णरूपेण संतुष्ट हो लेंगे।

(16) इंटरनेट सेवा में किसी प्रकार की त्रुटि होने के संबंध का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। अतः संवेदकों को चाहिए कि अंतिम समय के पूर्व ही कठिनाइयों से बचने हेतु बीड को अपलोड कर लें।

(17) बीड प्राप्त करने की अंतिम निर्धारित तिथि को 12:00 बजे रात्रि से निविदा डालने के निर्धारित समय के पूर्व यदि www.eproc.bihar.gov.in का लगातार 2 घंटे से अधिक समय के लिए सर्वर डाउन होने की स्थिति में निविदा डालने की तिथि स्वतः अगले दिन के लिए निर्धारित समय तक विस्तारित हो जायेगी।

(18) किसी भी प्रकार का शुद्धि पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना पूर्व सूचना के एवं बिना कारण बताये निविदा रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

(19) विशेष जानकारी हेतु अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है। ई–टेन्डरिंग की प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी / सूचना हेतु सहायता कक्ष–प्रथम तल्ला, प्लॉट नं. –एम/22, बैंक ऑफ इंडिया कम्पाउंड, रोड नं.–25, श्री कृष्णा नगर, पटना–800001 से दूरभाष संख्या–9939035696 एवं 0612–2523006 पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(20) संवेदकों को कार्यस्थल, प्राक्कलन, क्वेरी स्थल एवं सामग्री स्थल इत्यादि की स्थिति, निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता की किसी स्थिति से पूर्णरूपेण संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा में भाग लेने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

2/6/18

वरीय परियोजना अभियन्ता
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,
कार्य प्रमण्डल, नालन्दा (बिहारशरीफ)

नियम एवं शर्तें :–

(1) (i) राज्य सरकार के किसी विभाग या संस्थान में किसी भी श्रेणी ने काली सूची में डाले गये अथवा कार्यो से वंचित (Debarred) संवेदक इस निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे।

(ii) निविदा सूचना की अन्य सभी शर्तो को पूरा करने के बावजूद, कोई संवेदक निविदा में भाग लेने के योग्य नहीं होंगे, यदि :–

(क) संवेदक के द्वारा किसी निर्धारित प्रपत्र, विवरणी शपथ पत्र या योग्यता प्रमाण पत्र के रूप में समर्पित किसी कागजात या दस्तावेज में गलत या गुमराह करने वाला तथ्य समर्पित किया गया हो।

(ख) किसी संवेदक का कार्य निष्पादन का रिकार्ड खराब रहा हो । अर्थात, उन्होंने आवंटित कार्य को अधूरा छोड़ दिया हो, संविदा की शर्तो के अनुसार कार्य सम्यक रूप से पूरा नहीं किया हो, पूर्व से आवंटित किसी कार्य को पूरा करने में गंभीर विलंब किया हो, विवाद का इतिहास हो, वित्तीय अक्षमता सिद्ध हुई हो ।

(iii) पार्टनरशीप डीड में अंकित कोई पार्टनर, कम्पनी के प्रबंध निदेशक, सहयोग समिति एवं निबंधित संस्थाओं के पदधारक या इन पदों पर कार्य करने वाले पदाधारक पूर्व में ब्लैक लिस्टेड है तो वह फर्म/कम्पनी/सहयोग समिति/निबंधित संस्था निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(2) निविदा के साथ तकनीकी बीड में एक पृथक पृष्ठ (चेकलिस्ट) पर अग्रधन के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों / वांछित सूचनाओं की स्वहस्ताक्षरित / अभिप्रमाणित प्रति को पृष्ठ संख्या के साथ अंकित करते हुए अपलोड (UPLOAD) किया जाना अनिवार्य है।

(i) **अग्रधन**

अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक फिक्स डिपॉजिट का रसीद जो निविदा प्राप्ति के अंतिम तिथि के छः माह बाद तक मान्य हो / डाकघर का एक / दो / तीन वर्षीय सावधि जमा पासबुक / राज्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र / पांच वर्षीय राष्ट्रीय विकास बाण्ड/ राज्य विकास ऋण प्रमाण पत्र के रूप में जो **वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल,** नालन्दा (बिहारशरीफ) के पदनाम से विधिवत प्रतिज्ञिप्त (Pledged) हो, स्वीकार किया जायेगा। जमा किये जानेवाले अग्रधन की मूल प्रति **वरीय परियोजना अभियंता, कार्य प्रमण्डल,** नालन्दा (बिहारशरीफ) / **उप मुख्य अभियंता, उत्तर / दक्षिण बिहार अंचल, पटना** के कार्यालय में दिनांक 27.06.2018 के 3:00 बजे अपराह्न तक अवश्य जमा किया जाना है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

(ii) पथ निर्माण विभाग के स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी–4 अथवा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के तृतीय श्रेणी में निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।

(iii) साझेदारी फर्म/कम्पनी के मामले में डीड एवं आर्टिकल्स ऑफ एसोसियेशन की प्रति।

(iv) पैन कार्ड की प्रति।

(v) वैट/जीएसटी निबंधन प्रमाण–पत्र की प्रति।

(vi) संवेदक को बीड अमाउन्ट का कम से कम 25 प्रतिशत (पच्चीस प्रतिशत) खर्च करने का शपथ पत्र।

(vii) संवेदक के अधीन निविदा डालने के अंतिम तिथि तक चल रहे कार्यों एवं लंबित कार्यों की राशि सहित सूची का शपथ पत्र। यदि कोई कार्य नहीं चल रहा हो अथवा लंबित नहीं हो तो इस आशय का भी शपथ पत्र।

(viii) संलग्न प्रपत्र में डिबार/ब्लैक लिस्टेड/रिसाईंड नहीं किये जाने से संबंधित शपथ पत्र।

(ix) विगत पांच वर्षों में से किन्हीं एक वर्ष में कार्य के राशि के पचास प्रतिशत समतुल्य राशि का सिविल कार्य किये जाने का संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति।

(3) (i) निविदादाताओं को प्रतिशत दर प्रस्ताव में कार्य के परिमाण विपत्र से प्रतिशत के रूप में अधिक, बराबर या कम दर (अंकों एवं शब्दों में) अंकित किया जाना होगा।

(ii) निविदादाताओं को मदरवार दर प्रस्ताव में मद के सामने दर (अंकों एवं शब्दों में) अंकित किया जाना होगा।

(iii) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–प्र॰–6 / द॰बि॰–नियम–03–08 / 2006 (अंश)–2046(एस) दिनांक 06–03–2014 के आलोक में प्रतिशत दर पद्धति (percentage rate tender) में परिमाण विपत्र की दर (राशि) से 10% से ज्यादा कम दर मान्य नहीं होगा एवं निविदाएं अमान्य कर दी जायेंगी।

(4) कार्य की प्राक्कलित राशि अग्रधन की राशि एवं परिमाण विपत्र के मूल्यों में परिवर्तन हो सकता है।

(5) बिना कारण बताए निविदा को अस्वीकृत करने / रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।

(6) निविदादाताओं द्वारा जमा किए गए अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद विभाग द्वारा देय नहीं होगा।

(7) निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि निविदा देने के पूर्व कार्य स्थल का निरीक्षण कर ले एवं कार्यस्थल की स्थिति तथा अन्य स्थितियों से पूर्ण अवगत हो लें। कार्य आवंटन के पश्चात कार्यस्थल पर कार्य से संबंधित अन्य कोई भी दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं होने पर एकरारनामा में निहित शर्तो के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(8) कार्य को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा करना अनिवार्य होगा। विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में समय वृद्धि देय नहीं होगी।

(9) आवंटित कार्य का एकरारनामा विहित प्रपत्र एफ–2 पर संपन्न किया जाएगा जिसका कंडिका–23 विलोपित समझी जाएगी।

(10) क्रमांक 2 3 4 एवं 5 में किसी दिन अवकाश घोषित होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस मान्य होगा तथा अलग से इसकी कोई सूचना नहीं दी जाएगी।

(11) विभाग द्वारा आपूर्ति की जाने वाली यंत्र – संयत्र, रोड रोलर, के भाड़े की कटौती विभाग द्वारा निर्धारित दर पर नियमानुसार किया जाएगा।

(12) अनियोजित अभियंताओं से आवंटित कार्य के विरूद्ध अग्रधन की राशि मात्र एक प्रतिशत ली जाएगी जिसमें बैंक गारंटी भी अनुमाण्य होगी। जमानत की शेष 9 (नौ) प्रतिशत उनके चालू विपत्र से कटौती की जाएगी।

(13) विशेष सूचना के लिए अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें या सूचना पट्ट देंखे। अन्य् शर्त परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगा, जो एकरारनामा का एक अंग होगा ।

26/6/18

**वरीय परियोजना अभियन्ता**
बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0,
कार्य प्रमण्डल, **नालन्दा (बिहारशरीफ)**